राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

दिनांक: 10.01.2018

क्रमांक / न्याय / 2018 / 281

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 17 / 192–93 दिनांक 03.01.2018 से पुलिस थाना डग के अभियोग सं0 191 / 17 धारा 307 आईपीसी व 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नरवर सिंह पुत्र पूरसिंह जाति सौध्यिा राजपूत उम्र 32 साल निवासी मेरूखेडी थाना डग जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.12.17 को सी0एसी डग मे फरियादी श्री श्री कृपाल सिंह पुत्र थानसिंह जाति सौधिया राजपूत निवासी दुधलाई थाना डग ने इस आशय का पर्चा बयान किया कि दिनांक 05.12.17 को मै ओर मेरे गांव का गोपाल सिंह निपानिया से गांव दुधलाई जा रहे थे कि निपानिया गांव के पास सुल्तान सिंह के ढाबे पर उसने आवाज देकर बुलाया उसके साथ विक्रम सिंह व श्यामसिंह निवासी निपानिया बैठे हुए थे। मेरे जाने के बाद सुल्तानसिंह ने मेरी मोटरसाईकिल से विक्रम सिंह को शराब लेने भेज दिया और कहा कि खाना बन रहा है, खाना खाकर जाना। मैने सुल्तान सिह से कहा कि मै खाना खाकर आया हूं, सुल्तान सिंह ढाबे वाले ने कहां कि यहां पर नरवर सिंह पूत्र पूरसिंह जाति सौध्यिा राजपूत निवासी मेरूखेडी का आया जिसने पूछा कि खाना किसका बन रहा है मैने उससे कहा कि ये खाना कृपाल सिंह निवासी दुधलाई का बन रहा है। 9.30 बजे करीब मेरे उपर किसी ने अचानक कटटे से फायर कर दिया, जिससे मेरे दाहिने गाल पर लगी फायर करने वाला व्यक्ति मुझे दिखाई नही दिया किन्तु मुझे शक है कि मेरे उपर कटटे से फायर नरवर सिंह निवासी मोरूखेडी ने किया इत्यादि पर मुकदमा न. 191 / 17 धारा 307 भादसा मे पंजीबद्व कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दोराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये अभियुक्त नरवर सिंह को गिरफतार कर अनुसंधान किया गया। अभियुक्त की इत्तला पर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुर्तिब कर अभियुक्त के रिहायशी मकान से एक देशी कटटा मय खाली कारतूस बरामद किया गया, प्रकरण मे धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट जोडी गई। जब्तशुदा देशी कटटे व कारतूस का आरर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो जब्तशुदा देशी कटटा फायर करने योग्य पाया गया तथा जप्तशुदा कारतूस 12 बोर एम्युनेशन, फायर आर्म्स की परिभाषा मे आना बताया गया। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय मे व्यक्त किया है कि अभियुक्तो के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मुरलीधर एसआई थाना डग व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यशवंत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड जब्त शुदा देशी कटटा व कारतूस को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त नरवर सिंह पुत्र पूरसिंह जाति सौध्यिा राजपूत उम्र 32 साल निवासी मेरूखेडी थाना डग जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तार्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डा0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / लायसेंस / रिनीवल / न्याय / 2018 / 167

दिनांक 08 .01.2018

आदेश

निम्न शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियो द्वारा उनके पक्ष मे जारी अनुज्ञापत्रो को अवधि 01.01.2017 से 31.12.2019 तक नवीनीकरण किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए जाने पर उनके चरित्र एंव आपराधिक प्रकरणो के संबध मे पुलिस अधीक्षक झालावाड से रिपोर्ट प्राप्त किए जाने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके पत्र क्रमांक 8983 दिनांक 30.06.2017 से अनुज्ञापत्रधारियो के विरूद्व संबधित थाने मे आपराधिक प्रकरण दर्ज होने तथा न्यायालय मे विचाराधीन होने से नवीनीकरण किए जाने मे असहमति रिपोर्ट प्रेषित की है।

अतः आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियो के आलोक मे निम्न शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियो के अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के संबध मे पुलिस अधीक्षक की असहमति रिपोर्ट प्राप्त होने से उनके पक्ष मे जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अनुज्ञापत्र मे दर्ज शस्त्र को संबधित थाने मे अविलम्ब जमा करा पालना से अवगत करावे।

क.स.	नाम अनुज्ञापत्रधारी	थाना	अनुज्ञापत्र सं0	यूनिक आईडी न.
1	श्री बद्रीलाल पुत्र कालूलाल बागरी निवासी पनवासा	असनावर	298 / आउट	295180021411232O1
2	श्री गजानंद दांगी पुत्र भंवरलाल निवासी सुवास	रायपुर	1629	29518001133745201
3	श्री राजेश गुप्ता पुत्र रामरतन निवासी करावन	पगारिया	1719	29518000533874201
4	श्री दुर्गालाल पुत्र कन्हैयालाल गुराडियाजोगा	मिश्रोली	1520	29518000230400201
5	श्री राजाराम नागर पुत्र शिवचरण धाकड गुरजेनी	खानपुर	1525	29518001732358201
6	श्री मदन लाल पुत्र रामचन्द्र मीणा लुहारिया	अकलेरा	264	2951800019528820

sd
(डा0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड
दिनांक 08.01.2018

क्रमांक / न्याय / आर्म्स / 2018 / 167-182

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– जिला मजिस्ट्रेट हिसार हरियाणा को उनके द्वाराजारी शस्त्र अनुज्ञापत्र स0 421–12–डीएम / एचएसआर दिनांक 29.12.92 बद्रीलाल पुत्र कालूलाल बागरी निवासी पनवासा को निरस्त करने के संबध में।
2– पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड
3– उप निदेशक, सूचना एंव जनसंपर्क विभाग, झालावाड
4– संबधित थानाधिकारी ————————————को प्रेषित कर लेख है कि आपके क्षेत्र से संबधित अनुज्ञापत्रधारी के अनुज्ञापत्र मे दर्ज शस्त्र को अपने थाने मे जमा कराकर कार्यालय को रिपोर्ट भिजवावे।
5– अनुज्ञापत्रधरी श्री ———————————————————————————— को प्रेषित कर लेख है कि अनुज्ञापत्र मे दर्ज शस्त्र को संबधित थाने मे तत्काल जमा करावे।

जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड